न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा
जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

क्र0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
/20	अस्थायी निषेधाज्ञा	22.07.20	15.09.2021

01 कमलेश पुत्र रामसहाय आयु 35 साल जाति मीना निवासी पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
02 कैलाशी पत्नि रामसहाय जाति मीना निवासी पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

01 रामकेश पुत्र बद्री मीना दत्तक पुत्र सुलिया जाति मीना निवासी पीतूपुरा तहसील करौली जिला करौली राजस्थान।
02 प्रकाश पुत्र बद्री मीना निवासी पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:— श्री शेरसिंह अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री मदनमोहन गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं0 63 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 964 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 965 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 973 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 974 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 975 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 976 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 977 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 980 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 990 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 991 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 992 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1019 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 1036 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 1037 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 16 कुल रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नं0 967 रकबा 01 बीघा, खसरा नं0 968 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 1058 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम पीलोदापुरा, आराजी खसरा नं0 1063 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 1073 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम ईनायती तहसील सपोटरा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजीयात जागीरदारों के समय से चली आ रही है तथा स्वर्जित सम्पत्ति नही है। प्रार्थी के बाबा बद्री की दो शादी हुई है। पहली पत्नि धापा जो कि गांव गोठरा की है एवं दूसरी पत्नि सुगनी नाम की है जो कि पीतूपुरा गांव की है। पहली पत्नि से एक पुत्र रामसहाय हुआ तथा दूसरी पत्नि सुगनी के चार सन्तान रामकेश, प्रकाश, सुशीला एवं सुनीता है। रामकेश अपने नाना के ग्राम पीतूपुरा में बाल्यावस्था मे सुलिया पुत्र हरदेव के यहॉ गोद चला गया तथा पालन पोषण, पढाई लिखाई सुलिया पुत्र हरदेव ने ही की। शादी विवाह भी ग्राम पीतूपुरा से सुलिया द्वारा ही रामकेश के कराये गये। करीब 40 वर्ष से ग्राम पीतूपुरा मे अपने पिता सुलिया के यहॉ पुत्र के रूप मे निरन्तर रहता चला आ रहा है। रामकेश ने नाजायज फायदा उठाकर तथा फर्जीकारी करके अपने पिता की सम्पत्ति को रामकेश व रामकेश का भाई प्रकाश ने दिनांक 17.04.2013 को अपने नाम वयनामा तस्दीक करा लिया गया, वयनामा के आधार पर रामकेश व प्रकाश अपने बाप की सम्पत्ति को हड़पने पर आमादा है जबकि रामकेश सुलिया पुत्र हरदेव के यहॉ गोद

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला-करौली

बाप की सम्पत्ति पर
के बाद सुलिया की चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है और अपने बाप की सम्पत्ति पर
बेज होना कानून के विरूद्ध है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। प्रार्थीगण का
व ससुर बद्री अनपढ एवं सीधा होने के कारण फर्जकारी करके वयनामा करा लिये गये है,
वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने पर आमादा है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण
हिस्सा बराबर है और अपने हिस्से अनुसार फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। गांव
पंच पटेलों ने रामकेश प्रकाश को काफी समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नही है वे
ने बाप की सम्पत्ति मे से व गोद की सम्पत्ति मे से दोहरा लाभ लेना चाहते है। इसलिए
र्थीगण ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पावंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। प्रार्थी सं0 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाव पेश कर कथन किया है कि मि वादग्रस्त प्रार्थीगण के पितामह व ससुर एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के पिता बद्री पुत्र हीरा के न्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रार्थीगण के पितामह व ससुर एवं अप्रार्थी सं0 1 व के पिता बद्री का 1/6 हिस्सा तन्हा खातेदारी में रहा है। मृतक बद्री का तन्हा वादग्रस्त भूमि 1/6 हिस्सा होने से बद्री ने वादग्रस्त आराजी में से खसरा नं0 963, 974, 975, 990, 991 कुल किता 5 कुल रकवा 05 बीघा 19 बिस्वा में से अपना हिस्सा 1/6 को एवं खसरा नं0 058 हिस्सा 1/6 एवं खसरा नं0 967 व 968 के सम्पूर्ण हिस्सा को विधिवत तौर पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.04.2013 को विक्रय किया है जिसका नामांतरकरण नं0 229 दिनांक 22.12.15 को अप्रार्थी नं0 1 व 2 के हक मे स्वीकृत होकर खातेदारी जमाबंदी सम्बत् 2072-2075 में इन्द्राज हो चुके है। ओर योम खरीद से खसरा नं0 963, 974, 975, 990, 991, 1058 के 1/6 हिस्सा पर एवं खसरा नं0 967, व 968 के संपूर्ण हिस्सा पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 बतौर खातेदार काबिज काश्त है। भूमि वादग्रस्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी नहीं है। बद्री का स्वर्गवास दिनांक 21.05.2020 को हो चुका है। बद्री के स्वर्गवासी होने के बाद से शेष आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 का समान हिस्सा हक 1/36-1/36 है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा होना गलत दर्ज किया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के हक में कराये गये वयनामा को आज दिवस तक सक्षम न्यायालय मे चुनौती नहीं दी गई है। प्रार्थीगण को बद्री द्वारा अप्रार्थीगण के हक मे कराए गए वयनामा की जानकारी एवं ज्ञान वयनामा दिवस से ही रहा है। उक्त आराजीयात जागीर के समय की नहीं है बल्कि बद्री पुत्र हीरा के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है। बद्री की दो शादी नहीं हुई है। बल्कि बद्री की विवाहिता पत्नि सुगनी है। धापा नाम की बद्री की कोई पत्नि नहीं रही है। प्रार्थीगण का पिता रामसहाय व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 सुगनी से पैदाईशी पुत्र पुत्रियां है। रामकेश, सुलिया पुत्र हरदेव जाति मीना ग्राम पीतूपुरा का दत्तक पुत्र नहीं है ना ही कभी रामकेश सुलिया के साथ बतौर दत्तक पुत्र या पुत्र के रूप में नहीं रहा है। रामकेश को सुगनी व बद्री द्वारा सुलिया को गोद नहीं दिया गया है। ना ही कोई गोद की रस्म हुई है। रामकेश बद्री का पुत्र है और बद्री की ही जायदाद का वारिस उत्तराधिकारी अपने पिता मृतक बद्री का है। मृतक बद्री से अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने दिनांक 17.04.2013 को फर्जीकारी कर वयनामा पंजीयन नहीं कराया है बल्कि पिता को उचित प्रतिफल राशि अदा कर वयनामा पंजीयन कराया है जो विधिवत है, सही है, वैध है। दिनांक 31.05.2020 को ग्राम पीतूपुरा में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के समक्ष कोई पंच पटेल इकट्ठे नहीं हुये है ना ही कोई फैसला हुआ है। दिनांक 08.06.2020 को ग्राम पीलोदापुरा में कोई पंच पटेल इकट्ठे नहीं हेये हैं ना ही कोई निर्णय लिया गया है ना ही कोई लिखापढी हुई है। यदि प्रार्थीगण ने कोई लिखा पढी अपने मेल के व्यक्तियों से गांव पीलोदापुरा में फर्जी तैयार करा ली है तो वय अप्रार्थीगण पर बाध्यकारी नहीं है कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा रामकेश के सुलिया के दत्तक पुत्र होने का पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य दर्ज कर फर्जी पंचनामा दस्तावेज तैयार कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा बद्री से खरीद की गई भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, ना ही है। कब्जा काश्त तन्हा अप्रार्थी सं0 1 व 2 का है। वयनामा वैध है

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला-करौली

प्रवत है जिसे प्रार्थीगण शून्य व प्रभावहीन व अकृत्य घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। नामा को निरस्त करने बाबत् वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ना होकर विल न्यायालय को है। प्रार्थीगण द्वारा बद्री की पत्नि सुगनी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया ा है। जबकि उसका बद्री की छोडी हुई शेष आराजी में प्रार्थीगण के समान हक व हिस्सा सुगनी आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य दर्ज कर यह प्रार्थना पत्र ात तौर पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खरीदशुदा 1/6 हिस्सा भूमि को हड़पने के लिए पेश था है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वाद कारण के अभाव में क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज किये ने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामसहाय ने दिनांक 26.06.2013 को न्यायालय हाजा दावा उनवानी रामसहाय बनाम लखन वगै0 धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट के तहत मुकदमा 33/2013 का प्रस्तुत किया था जिसमें वाद पत्र के मद नं0 1 में सजरा दर्ज किया है समें बद्री के तीन वारिस रामसहाय, रामकेश, प्रकाश को होना बताया है धापा को बद्री की न होना नहीं बताया है और सुगनी को जो बद्री की विवाहिता पत्नि है उसको दर्ज नहीं या है। उक्त वाद पत्र में अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा बद्री से खरीद की गई उक्त भूमि को ार्थी सं0 1 व 2 के हक मे बद्री द्वारा पंजीयन कराया जाना स्वीकृत किया है और उक्त दावा नांक 19.10.2016 के दिवस खारिज हो चुका है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता व ने को वयनामा की जानकारी दिनांक 26.06.2013 से पूर्व दिनांक 22.04.2013 को होना ोकृत है। यह दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण म्याद वाहर है एवं क्षेत्राधिकार विहीन है एवं वार्ड ई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामसहाय व अप्रार्थीगण वाबदारान सन् 1998 तक शामिल में निवास करते रहे है, शामिल मे खानपीन एवं कामकाज मदनी रही है। सन् 1998 तक संयुक्त परिवार रहा है। सन् 1997 में जवाबदारान के पिता ी द्वारा खसरा नं0 1025 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा स्थित ग्राम पीलोदापुरा में से घमण्डी पुत्र ब्दू मीना पीलोदापुरा वाले के हिस्से 1/4 को शामिल की संयुक्त परिवार की आमदनी से रीद किया है जिसका वयनामा रामसहाय ज्येष्ठ पुत्र होने से हमारे पिता बद्री द्वारा वयनामा मसहाय के हक में कराया है जबकि उक्त आराजी हम जवाबदारान के पिता बद्री द्वारा संयुक्त रिवार की आय से खरीद की गई है। जिसमें हम जवाबदारान का भी प्रार्थीगण के साथ समान स्सा व हक हकूक खातेदारी व काश्तकारी है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में ह कथन किया है कि प्रार्थी सं0 1 रामकेश ग्राम पीतूपुरा में सुलिया के गोद गया है जहॉ पर सका नाम मतदाता सूची में दर्ज है एवं पंच पटेलों मे लिखा पढी कर रखी है। रामकेश का ुलिया के गोद जाने से सुलिया का कियाकर्म रामकेश के द्वारा ही किया गया। विवादित भूमि ागीरदारी के समय की है पैतक भूमि है जिसे बद्री को बेचान का अधिकार नहीं है। इसलिए ाजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अनुसार अवैध बेचान नल एण्ड वोईड । बद्री की दोनो पत्नि में से पहली पत्नि कोनसी थी यह बात दावे मे साक्ष्य सबूतों के आधार र तय किया जावेगा। मुकदमा में किसी को पक्षकार नहीं बनाय गया है तो ऑर्डर 1 रूल्स 10 ीपीसी प्रार्थना पत्र से आ सकते है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 रामकेश दत्तक पुत्र की हैसियत से ग्राम पीतूपुरा एवं ग्राम पीलोदापुरा में बद्री के वारिस की हैसियत से दो तरफा लाभ लेना चाहते है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। पूर्व मे न्यायालय हाजा में दर्ज मुकदमा में प्रार्थीगण के पिता रामसहाय की फौत हो जाने के कारण उसके वारिसान को सूचना नहीं दी गई इसलिए दावा न्यायालय हाजा में खारिज हुआ था। विवादित भूमि का बेचान हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाब को दोहराते हुए अपनी बहस में यह कथन किया कि प्रार्थीगण का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का केस दस्तावेजी सबूतों पर आधारित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डोर, जिला-जोधपुर

ाण को कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वेग व ारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता एवं ससुर त व 2 के पिता बद्री के तीन पुत्र रामसहाय, रामकेश एवं प्रकाश थे, बद्री की पत्नि सुगन ुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है। रामकेश का सुलिया निवासी पीतूपुरा के गोंद जाने कोई सबूत पेश नहीं किया है। पंच पटेलों की लिखा पढी अप्रार्थीगण पर बाध्यकारी नहीं है ालय हाजा को सुनने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामसहाय ने दिनांक 26.06. ा को न्यायालय हाजा मे दावा रामसहाय बनाम लखन वगै0 का प्रस्तुत किया है, उक्त वाद मे बद्री द्वारा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के हक में किया गया वयनामा प्रार्थीगण ने स्वीकृत किया उक्त दावा दिनांक 19.10.2016 को खारिज हो चुका है जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता ाति को वयनामा की जानकारी दिनांक 26.06.2013 से पूर्व दिनांक 22.04.2013 को होना ृत है। गांव में पंच पटेलों का कोई फैसला अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के समक्ष नही हुआ है और ांतररकण दिनांक 22.12.2015 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 के हक में हो चुका है। तब ांतरकरण खुलवाने की धमकी देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण ने गलत तौर अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खरीदशुदा 1/6 हिस्सा भूमि को हड़पने के लिए पेश किया है। ाना पत्र प्रार्थीगण वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। यह प्रार्थना पत्र द बाहर है एवं क्षेत्राधिकार विहीन है एवं बैयर्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। ादित आराजीयात पुश्तैनी नहीं है। धापा के बद्री की पत्नि होने के सबूत पेश नहीं किया है। खातेदार को पाबंद नही किया जा सकता है। अंत मे वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के र्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में लब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2072—75 म पीलोदापुरा तहसील सपोटरा विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त ातेदारी की दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी मे केवल खसरा नं0 967, 968, 1025,1058 र्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है। जो पक्षकारान ने जरिये वयनामा प्राप्त ी है। अन्य आराजीयात पक्षकारान की पैतृक भूमि है। प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र घोषणा ातेदारी का है जिसे साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा। विवादित आराजीयात का किसी भी तरीके से ट्रान्सफर होने पर बेजा मुकदमा बाजी होगी। इसलिए केवल पक्षकारान की तक भूमि तक ही अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम पीलोदापुरा तहसील सपोटरा 963, 964, 965, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 990, 991, 992, 1019, 1036, 1037, 1038 के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा आराजी खसरा नं0 967, 968, 1025, 1058 मे चाहे गये अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष को खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली